न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 108/2016

शर्मिला देवी पत्नि श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

– – वादीया

–:: बनाम ::–

1 धर्मवीर पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2 सुधीर कुमार पुत्र श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 14 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
3 विनय कुमार पुत्र श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
4 सावित्री देवी पत्नि विजय सिंह जाति जाट निवासी 5–ए–6, जवाहरनगर, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर।
5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषक6गण ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — वादीया
2. श्री प्रदीप सिंहाग अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 8

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.11.2019

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 183 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 4 जैड़ का मुरब्बा नम्बर 9 एवं मुरब्बा नम्बर 77/3 की कुल 6.3270 हैक्टर कृषि भूमि, जिसे आगे वाद पत्र में वादाधीन कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है, संयुक्त रूप से वादिया एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा में दर्ज कृषि भूमि है जिसमें से वादिया के नाम से 0.728 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 धर्मवीर के नाम से 0.506 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम से संयुक्त रूप से 5.030 हैक्टर एवं प्रतिवादिया संख्या 4 के नाम से 0.063 हेक्टर कृषि भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्तानुसार 0.728 हेक्टर कृषि भूमि मुश्तरका खाता की एकमात्र खातेदारा एवं काबिज काश्तकारा वादिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से उक्त वर्णित कृषि भूमि के सन्दर्भ में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय में वाद संख्या 90/2012 अनवानी धर्मवीर वगैरा बनाम शर्मिला देवी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादाधीन कृषि भूमि संयुक्त खाता की है जिसका विभाजन नहीं हुआ है एवं वादिया, जो कि 0.728 हैक्टर की खातेदारा खरीदशुदा काश्तकारा है, अजनबी है इसलिये अनुतोष चाहा कि बिना विभाजन करवाये भूमि में मदालखत ना करे। उक्त वाद का जवाबदावा वादिया की ओर से प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया गया कि धारा 188 का वाद नाकाबिल चलने के है महज प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 विभाजन का वाद ही धारा 53

के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकते है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं किया। उक्त वाद में आयन्दा तारीख पेशी 21.06.2016 नियत है। वादाधीन कृषि भूमि में से 0.728 हैक्टर कृषि भूमि पर वादिया साधिकार बतौर खातेदारा मुश्तरका खाता में काबिज चली आ रही है। एवं मौका पर वादिया का कब्जा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा भूमि के मुश्तरका होने का कथन कर वाद प्रस्तुत कर विवाद करने के उपरान्त कालान्तर में स्वयं बिना विभाजन करवाये एवं विधि विरूद्ध ढंग से मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5 में पानी हेतू डिग्गी की खुदाई की जा रही है एवं मौका पर पांच छह ट्रैक्टर लगाकर भूमि का स्वरूप बिगाडकर बिना विभाजन करवाये डिग्गी की खुदाई की जा रही है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि भूमि मुश्तरका है एवं बिना विभाजन करवाये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है जबकि प्रतिवादीगण स्वयं अपने कथनों से मुकरते हुए मुश्तरका खाता की भूमि विभाजन करवाये किला नम्बर 5 में अपना विशेषाधिकार दर्शाते हुए पानी की 1डिग्गी खोद रहे है जिसे खोदने की कोई विधि अधिकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को नहीं है। विधि अनुसार मुश्तरका खाता के विधिवत विभाजन तक यही मान्यता है कि प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक ईन्च पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, जो कि अत्यन्त ही प्रभावशाली व्यक्ति है एवं येन केन प्रकार से वादिया को परेशान करने की चेष्टा में रहते है, के द्वारा वादिया के साथ अकारण रंजिश रखे हुए होने के कारण एवं अपने बाहुबल के प्रयोग एवं प्रभाव से बिना मुश्तरका खाता की वादाधीन कृषि भूमि का विभाजन करवाये मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5 में डिग्गी की खुदाई की जाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 स्वयं का कथन भूमि मुश्तरका होने का है ऐसी स्थिती में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई विधिक अधिकार बिना विभाजन करवाये मुश्तरका खाता की भूमि में पानी की डिग्गी की खुदाई करने अथवा निर्माण करने का नहीं है। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के उक्त विधि विरूद्ध कृत्य को देखते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को निवेदन किया कि वे बिना वादाधीन कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी एंव बुरी से बुरी भूमि का विधिवत विभाजन करवाये वादाधीन कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5 में पानी की डिग्गी की खुदाई ना करें एवं ना हीं निर्माण करे तथा ऐसा कोई भी कार्य करने से पूर्व भूमि का विभाजन करवा लेवें लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा ऐसा करने से दिनांक 11.06.2016 को स्पष्ट इन्कार कर दिया है बस यही बिनाए मुखास्मत खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादिया को हासिल है। प्रतिवादिया संख्या 4 को बतौर सहकाश्तकार विभाजन के बाद में पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 को बतौर लैन्ड होल्डर पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ भी विभाजन का वाद हेतूक वादिया को हासिल है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के अवैध कृत्यों को देखते हुए वादिया इस आशय की निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बिना वादाधीन कृषि भूमि का विभाजन करवाये वादाधीन कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5 वाके चक 4 जैड़, तहसील श्रीगंगानगर में किसी भी प्रकार से पानी की डिग्गी की खुदाई करने अथवा निर्माण करने से निषेधित रहे। वादिया वादाधीन कृषि भूमि की सहकाश्तकार है इसलिये विधिवत विभाजन अच्छी से अच्छी एंव बुरी से बुरी भूमि की करवाकर अपने नाम सें अलग जमाबन्दी तैयार करवाने एवं पृथक लगान निर्धारित करवाकर अपने हिस्से की भूमि पर अधिष्ठित होने की अधिकारी है। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को इस सम्बन्ध में निवेदन किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 स्पष्टतया इन्कारी के साथ साथ धमकी दी है कि वे हरसंभव प्रयास से एवं जल्द से जल्द वादाधीन कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5 में पानी की डिग्गी की खुदाई करवाकर निर्माण कार्य पूर्ण कर लेंगे। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अपने इस नापाक मन्सूबे में कामयाब हो जाते है तो वादिया को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादिया के विधिक अधिकार प्रभावित होंगे। वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुतकर्दा दस्तावेजात के

आधार पर वादिया का प्रथम दृष्टया केस बाखूबी साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी वादिया के पक्ष में है। वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है एवं वादाधीन कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिये वाद सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। वाद वादिया प्रतिवादीगण की इन्कारी की दिनांक से वाद हेतूक उत्पन्न होने पर अन्दर मियाद दो रूपये के उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा वाद वादिया प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) डिक्री विभाजन बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जाकर वादाधीन कृषि भूमि का विधिवत विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का किया जाकर पृथक पृथक जमाबन्दी एवं पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जाकर वादिया को उसके हिस्सा में आयी भूमि पर अधिष्ठित करवाया जावे।

(ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 इस अमर की सादिर पारित की जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 4जैड़ का मुरब्बा नम्बर 9 एवं मुरब्बा नम्बर 77/3 की कुल 6.3270 हैक्टर कृषि भूमि का विधिवत विभाजन हुए बिना मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5 में अथवा अन्य किसी भी भूमि में पानी की डिग्गी की खुदाई करने अथवा निर्माण करने से बाज व ममनू रहे।

(ग) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद वादिया हो अताः फरमायी जावे।

(घ) वाद का व्यय वादिया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 4–जैड के मुरब्बा नम्बर 9 एवं 77/9 की कुल 6.3270 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका रूप से भिन्न–भिन्न हिस्सों में दर्ज कागजात माल है, परन्तु वादी शर्मिला ने 0.728 हैक्टर कृषि भूमि जरिये बैयनामा कमला देवी पत्नी श्री नत्थू राम से बिना विभाजन करवाये खरीद की थी। कमला देवी अपने हिस्से की कृषि भूमि काफी वर्षों से प्रतिवादीगण को ठेके पर देती आ रही थी। इस प्रकार वादीया का 0.728 हैक्टर कृषि भूमि का न तो बैयनामा के समय कब्जा लिया गया, न ही वर्तमान में है। वादीया का 0.728 हैक्टर कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। वादीया अपने कब्जा से सम्बन्धित दस्तावेज पानी की पर्ची एवं गिरदावरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रतिवादीगण/उत्तरदाता के द्वारा अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में भूमि सुधार हेतु डिग्गी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। रिकॉर्डेड खातेदार होने के फलस्वरूप अपनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में उत्तरदाता विधिक रूप से कृषि भूमि से सम्बन्धित कोई भी कार्य करवा सकते हैं, बल्कि उत्तरदाता ने वादीया के विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है कि चक 4–जैड के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 6.3270 हैक्टर भूमि में वादीया मदाखलत न करे। वादीया औरतजात होने का गलत फायदा उठा कर प्रतिवादीगण/उत्तरदाता को बेवजह परेशान कर रही है एवं कृषि कार्य करने में निरन्तर व्यवधान पैदा कर रही है। यह कथन सत्य है कि बिना विधिवत् विभाजन के प्रत्येक सह–काश्तकार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा माना जाता है, परन्तु वादीया बिना विभाजन करवाये केवल हिस्सा की खरीद की गयी है। इस प्रकार वह एक अजनबी क्रेता की श्रेणी में आती है। विधि अनुसार जब तक संयुक्त स्थावर सम्पत्ति का बंटवारा हिस्सा अनुसार न हो जाये, तब तक कोई तीसरा व्यक्ति यानि क्रेता उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। विवादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा आज भी उत्तरदाता के पास चला आ रहा है। उत्तरदाता द्वारा अपनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी भूमि में विधिवत् रूप से डिग्गी का निर्माण कार्य अपनी कृषि भूमि के सुधार के लिए किया जा रहा है। उत्तरदाता कभी भी वादीया से नहीं मिले। इस चरण में वादीया उत्तरदाता से कहां मिली, इसका

उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात् वाद कारण कहां पैदा हुआ, इसका उल्लेख न किये जाने के फलस्वरूप यह वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। इस चरण में वर्णित समस्त कथन मनगढंत हैं। केवल वाद पत्र रचित करने हेतु यह निराधार कथन अंकित किये गये हैं। प्रतिवादीगण ने कोई भी अवैध कृत्य नहीं किया। वादीया स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि उसके पास वर्तमान में किसी भी भूमि का कब्जा काश्त नहीं है। इस चरण में अंकित समस्त तथ्य मनगढंत एवं निराधार अंकित किये गये हैं। जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, वह भूमि सुधार हेतु अपनी कब्जा काश्त की भूमि पर विधिवत् रूप से करवाया जा रहा है। वादीया द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उसका कब्जा सिद्ध होता हो। अतः जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से वाद पत्र का बिन्दूवार जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य हीत को मध्य नजर रखते हुए निर्णय फरमाया जावे।

वादी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी काफी प्रयास के बावजूद भी नहीं हो पर रही है। वाद विभाजन का है जिसमें मुताबिक जमाबन्दी प्रत्येक सहकाश्तकार की भूमि का विभाजन न्यायालय द्वारा किया जाना है भूमि के कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है अतः प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। वादी अधिवक्ता के कथनों का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा कोई विरोध नहीं किये जानें पर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि उभयपक्ष विवादीत आराजी में सहखातेदार है तथा अपनें हिस्से तक की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। इस कारण वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। अधिवक्ता उभ्यपक्ष द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	प्रस्तावित रकबा
1	शर्मिला देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 14 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर	मुरब्बा नम्बर 9, किला नं. 1/2(0.2154), 10(0.253), 11/1(0.2342), कुल 0.7026 हैक. नहरी एवं मु.नं. नं. 77/3/1 0.254 हैक खाला कुल 0.728 हैक. नहरी मय खाल
2	धर्मवीर पुत्र मनफूलराम 0.506 हैक, सुधीर कुमार, विनय कुमार पिसरान धर्मवीर 5.030 हैक. निवासी वार्ड नं. 14 श्रीगंगानगर	मु.नं. 9, किला नम्बर 2/2(0.2154), 3/2(0.2154), 4/2(0.2154), 5/2(0.2154), 6 ता 9, 12 ता 25(4.554 हैक.), 11/2(0.188) कुल 5.4344 हैक. नहरी, मुरब्बा नम्बर 77/3/2 =0.1016 हैक. खाला कुल 5.536 हैक. नहरी मय खाला
3	सावित्री देवी पत्नी विजय सिंह जाति जाट निवासी 5 ए 6 जवाहर नगर	मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1/1(0.0126), 2/1(0.0126), 3/1(0.0126), 4/1(0.0126), 5/1(0.0126) कुल 0.063 हैक्टर नहरी

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया

जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 04.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.27 17:36:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: